उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक २६.५.२००१ को सम्पन्न हुई १७९वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक २६.५.२००१ को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

१-	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
२-	श्री रोहित नन्दन, आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
३-	श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव प्रतिनिधि, सचिव आवास, उ०प्र० शासन (मद संख्या ३७ से बैठक में उपस्थित रहे)	सदस्य
४-	श्रीमती नीरजा कृष्ण, संयुक्त निदेशक प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग उ०प्र० शासन	सदस्य
५-	श्री हिमांशु कुमार, विशेष सचिव प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त, उ०प्र० शासन	सदस्य
६-	श्री आर०एस० त्रिपाठी, विशेष सचिव प्रतिनिधि, सचिव नगर विकास, उ०प्र० शासन	सदस्य
७-	श्री सी०पी० शर्मा, नगर नियोजक प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,उ०प्र०	सदस्य
८-	श्री एम०एल० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता प्रतिनिधि, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम,लखनऊ	सदस्य
९-	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
१०-	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ल, अपर आवास आयुक्त	सचिव

<u>विशेष आमंत्री के रुप में</u>

१-	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
२-	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
३-	श्री एस०पी० अग्रवाल, विधि परामर्शदाता	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में निवर्तमान आवास आयुक्त श्री राजेन्द्र भौनवाल के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया साथ ही वर्तमान आवास आयुक्त श्री रोहित नन्दन का स्वागत किया गया ।

<u>बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये –</u>

मद सं०	विषय	निर्णय
1	2	3
1-	परिषद की १७८वीं बैठक दिनांक १६.११.२००० के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्ति की पुष्टि की गयी ।
2-	परिषद की १७८वीं बैठक दिनांक १६.११.२००० की अनुपालन आख्या ।	अनुपालन आख्या का बिन्दु संख्या–४ अपूर्ण है। रु० १०.०० लाख से ऊपर की परिषद योजनाओं की मानीटरिंग के लिये एक सेल के गठन का निर्णय लिया गया। बिन्दु संख्या–६ का अनुपालन भी अभी अपूर्ण है। परिषद हित को ध्यान में रखते हुए परियोजना सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों के शीघ्र निस्तारणएवं निर्णय लेने हेतु मा० अध्यक्ष जी की अध्यक्षतामें परिषद की एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया । इस समिति के अन्य सदस्य आवास आयुक्त, विशेष सचिव–वित्त(श्री हिमांशु कुमार), अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक होंगे तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्षइसके संयोजक सदस्य होंगे। समिति के निर्णय के उपरांत इसे परिषद की आगामीबैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।बिन्दु संख्या–६२ व ६३ का प्रस्ताव इसी समितिके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।इसी प्रकार लोनीरोड एवं वृन्दावन योजना से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण प्रकरणों को इस समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया ।
3-	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची ।	अवलोकनोपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदत्त की गयी ।
4-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–१६ में निर्माणाधीन आफिस कम शापिंग काम्पलेक्स के पुनरीक्षित प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के	अनुमोदित ।

1	2	3
	सम्बन्ध में ।	
5-	योजना सं०-७ शास्त्रीनगर मेरठ के सं०-६ में स्वयं वित्त पोषित योजना-२००१ के अन्तर्गत ५३/१२७ प्रकार के ३२ नग सेमी फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि वित्त नियंत्रक इस प्रकार के प्रकरणों की रैण्डम चैकिंग कर लिया करें ।
6-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-१६ए में कन्वेंनशन सेन्टर के निर्माण कार्य की प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
7-	विकास नगर विस्तार योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-२०००ए एवं २०००सी के अन्तर्गत सेक्टर-११ एवं १४ में विभिन्न प्रकार के १११ नग सेमी फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ।	अनुमोदित ।
8-	योजना संख्या-१ कानपुर (से०-जी व एच) में अपूर्ण कार्यो (विकास कार्य) को पूर्ण कराने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित ।
9-	मेरठ दिल्ली मार्ग पर माधवपुरम योजना सं०-१० मेंरठ के सेक्टर-२ में वाह्य विद्युतीकरण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
10-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या डी-५५६ पर देय दण्ड ब्याज के माफी के सम्बन्ध में।	अतिरिक्त ब्याज देय होने की स्थिति में रु० दस हजार के सीमान्तर्गत माफ किये जाने का निर्णय लिया गया ।
11-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ में स्थित भूखण्ड संख्या एफ-१००८ के विरुद्व निर्धारित किश्तों को २० वर्ष में वसूल करने व दण्ड ब्याज माफ करने विषयक ।	१० वर्षो की किश्तों के स्थान पर २० वर्षो की किश्ते किये जाने का निर्णय लिया गया । जहां तक अतिरिक्त ब्याज के माफी का प्रश्न है, आवंटी के आय के साधन आदि का परीक्षण करके निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये ।
12-	परिषद की महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या-६ के विरुद्व देय अतिरिक्त दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
13-	परिषद की राजाजीपुरमयोजना लखनऊ में श्री उदय प्रताप सिंह कोआवंटित दुकान	अनुमोदित ।

1	2	3
	संख्या–एस–१८१ का पुनर्जीवन प्रकरण ।	
14-	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में माननीय न्यायमूर्ति श्री आर०डी० माथुर के पक्ष में प्रदिष्ट भूखण्ड संख्या १२/२०२ क्षेत्रफल २१८ वर्गमीटर के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज की धनराशि माफ करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
15-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्री खानू भाई को आवंटित दुकान संख्या एस–८३ के पुनर्जीवन का प्रकरण ।	अनुमोदित ।
16-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुर्नजीवन का प्रकरण ।	अनुमोदित ।
17-	श्री हाकम सिंह को विकास नगर योजना लखनऊ में आवंटित भूखण्ड संख्या २/६५५ का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी का प्रकरण ।	नियमानुसार पंजीकरण के धनराशि की २० प्रतिशत कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस करने का निर्णय लिया गया । छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में आम राय यह थी कि इसे गंभीर किस्म की बीमारी यथा बाई पाससर्जरी,कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण,एड्स अथवा मृत्युके मामले में ही अनुमन्य किया जाय तथा इससम्बन्ध में नीति भी निर्धारित करने का निर्णयलिया गया ।
18-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में श्री शशांक शेखर बख्शी को प्रदिष्ट कियोस्क संख्या एस–४/के–१ निरस्तीकरण के उपरांत पुर्नजीवन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
19-	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ में श्री मन मोहन को कार्यालय भवन को अनारक्षित करते हुए उच्च आय वर्ग भवन संख्या सी–१८४७/१में कार्यालय स्थापित होने की अवधि में लगाये गये ब्याज के माफी का प्रकरण ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
20-	शास्त्रीनगर योजना संख्या–३ मेरठ स्थित धार्मिक भूखण्डों का आवंटन ।	परिषद के पूर्व निर्णय के अनुपालन का निर्णय लिया गया ।
21-	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में स्थित श्री जसवीर सिंह को आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या १२ सी०	अनुमोदित । यह भी निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–१२ सी०पी०–१०५ को ले आउट में आवासीय भूखण्ड रखा जाय।

1	2	3
		था कि शासनादेश के अनुसार उक्त विनियम प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग को स्वीकृति हेतु भेजी जानी चाहिये । निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु का परीक्षण कर लिया जाय, यद्यपि परिषद अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ।
31-	लेखा संवर्ग (सहायक लेखाकार/लेखाकार) की सेवा विनियम के सम्बन्ध में ।	पुष्टि की गयी । शेष मद संख्या–३० के निर्णयानुसार ।
32-	विभिन्न रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मस्टर रोल श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	परिषद अवगत हुयी ।
33-	परिषद कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ।	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में नीति बनाकर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।
34-	१४ वर्ष की सेवा पर देय पदोन्नति वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमन्य होने तथा उससे कम वेतनमान में पदोन्नति किये जाने के फलस्वरुप उत्पन्न विसगंति के सम्बन्ध में ।	प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया ।
35-	श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेवा अवधि के आधार पर परिषद के मस्टर रोल श्रमिकों को वर्गीकृत किये जाने तथा तकनीकी कार्य पर लगे श्रमिकों हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर उन्हें कुशल की श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि, किस प्रकार की छूट प्रदान की जानी है, आदि का परीक्षण करते हुए पुनः प्रस्तुत किया जाये ।
36-	विधि निरीक्षक परिवर्तित पदनाम सहायक विधि अधिकारी एवं सम्पत्ति निरीक्षक संवर्ग के सेवा विनियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
37-	दैनिक वेतन कर्मचारियों को संहत वेतन पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर्स की भांति अनुग्रह धनराशि का भुगतान अनुमन्य किये जाने विषयक ।	मा० न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने व तब तक स्थिति यथावत् रखने का निर्णय लिया गया ।
38-	चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित
39-	परिषद की योजनाओं में नर्सिंग होम्स की स्थापना/ नियमितीकरण हेतु नीति निर्धारण।	प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि एफ०ए०आर० आवासीय रखा जाय।

1	2	3
	पी०–१०५ के स्थान पर व्यसायिक भूखण्ड संख्या १६ सी०पी०–२०१ के आवंटन के सम्बन्ध में ।	
22-	जागृति विहार योजना संख्या–८ मेरठ में स्थित एस०एफ०एस० भवन संख्या २५७/४ के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	कारगिल युद्ध में शहीद का प्रकरण होने के कारण विशेष परिस्थितियों में परिषद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया ।
23-	परिषद की जिगर विहार योजना मुरादाबाद में श्री अकबर हुसैन एवं श्री रिफाकत हुसैन माननीय विधायको को आंवटित भूखण्ड संख्या बी–७० एवं बी०–७१ के सम्बन्ध में परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद कार्य हेतु आरक्षित सम्पत्ति (स्टाफ क्वार्टर, कार्यालय,गेस्ट हाउस आदि) को परिषद कर्मचारियों के अतिरिक्त आवंटन की स्थिति में उसे उक्त प्रयोजन से अनारक्षित करते हुए केवल नीलामी के माध्यम से ही निस्तारण किया जाय ।
24-	किश्तों पर आवंटित भूखण्डों में भविष्य में देय किश्तों में शामिल मूलधन के एक मुश्त भुगतान करने पर अनुमन्य छूट के सम्बन्ध में।	दुर्बल आय वर्ग के भवनों के अतिरिक्त प्रस्ताव अनुमोदित ।
25-	परिषद की गणेश विहार योजना फतेहपुर में आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–५१ में बनी बाउन्ड्रीवाल के मूल्य को भवन के आरक्षित मूल्य रु० २,६६,२०३.०० में से कम किये जाने के सम्बन्ध में ।	बाउन्ड्रीवाल के मद के मूल्य को भवन के मूल्य में शामिल करते हुए आवन्टी से लिये जाने का निर्णय लिया गया ।
26-	श्रीमती ममता सिंह को राजाजीपुरम योजना लखनऊ में आवंटित दुकान संख्या एस–२४१ के विरुद्व देय दण्ड ब्याज माफ करने व बकाया धनराशि की पुनः किश्तें बनाये जाने का प्रकरण ।	विचार–विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि साधारण ब्याज माफ किया जाना सम्भव नहीं है। अतिरिक्त ब्याज देय होने की स्थिति में रु० १३०००.०० तक की सीमा तक माफ कर दिया जाये तथा किश्तें पुनः निर्धारित कर दी जायें ।
27-	स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम के सम्बन्ध में कार्योतर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
28-	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योतर अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
29-	श्री जगदीश चन्द्र रस्तोगी, अवर अभियन्ता विद्युत को प्रतिपूर्ति/ भुगतान हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
30-	सहायक लेखाधिकारी संवर्ग के सेवा विनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया । सार्वजनिक उद्यम विभाग की प्रतिनिधि श्रीमती नीरजा का कथन

1	2	3
		इसके अतिरिक्त बुटीक / ब्यूटी पार्लर व स्कूलों के नियमिती–करण के सम्बन्ध में भी नीति बना ली जाये।
40-	परिषद योजनाओं में मिश्रित भू--उपयोग अनुमन्य किया जाना ।	अनुमोदित ।
41-	छिबरामऊ भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–१ छिबरामऊ के खसरा संख्या–११६ में निर्मित श्री विश्राम सिंह की तीन नग दुकानों को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित ।
42-	बहराइच खास भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना बहराइच को परित्याग करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
43-	तेलीबाग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–१ (वृन्दावन योजना संख्या–१) में हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ वापस लिया गया कि मद संख्या–२ में लिये गये निर्णय के अनुसार परिषद की गठित उप समिति द्वारा इस सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाये तथा कार्योत्तर स्वीकृति परिषद से प्राप्त कर ली जाये ।
44-	परिषद द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के चयन हेतु उच्च स्तरीय समिति के सम्बन्ध में ।	शासनादेश को अंगीकृत करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा १०० एकड़ भूमि के लिये पूर्व में गठित समिति, उपसमिति के रुप में कार्य करेगी तथा उच्चस्तरीय समिति को सहयोग देगी ।
45-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सईदुन निशा के खसरा संख्या ३६७, ३६८, ४०६, ४१०, ४१४ तथा ४१५ की एक बीघा भूमि समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित । भू–उपयोग वर्तमान में स्कूल के रुप में है, अतः वही रहेगा । यदि भविष्य में भू–उपयोग परिवर्तित होता है तो नियमानसुार परिवर्तन शुल्क देय होगा ।
46-	खुर्जा पहासू मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–२ खुर्जा जिला बुलन्दशहर की अभिनिर्णित एवं कब्जा प्राप्त भूमि आपसी समझौते से निर्धारित रु० १०६.०० प्रति वर्गग० की दर से प्रतिकर का भुगतान करने / योजना चलाने अथवा बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।	विचार–विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा यह योजना संचालित किया जाना उपयुक्त होगा । समझौते के आधार पर देय अतिरिक्त धनराशि (Ex-gratia) के वित्तीय प्रभावों का आंकलन करते हुए प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।
47-	परिषद की शताब्दी नगर भूमि विकास एवं	अनुमोदित ।

1	2	3
	गृह स्थान योजना झूँसी इलाहाबाद के सम्बन्ध में नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि।	
48-	कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली के खसरा संख्या ५२१ की १–१४–० बीघा भूमि को योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
49-	वित्त वर्ष २०००–२००१ के पुनरीक्षित एवं वित्त वर्ष २००१–२००२ हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक।	आय–व्ययक पर चर्चा के समय विशेष सचिव आवास द्वारा परिषद की धनराशि फ्लैक्सी डिपाजिट के रुप में जमा करने पर बल दिया गया , जिससे सहमति व्यक्त की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक द्वारा त्रैमासिक रुप से परिषद की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जायेगी जिसे परिषद के अवगतार्थ प्रस्तुत किया जायेगा । आय–व्ययक के साथ विभिन्न रेशियो एनालिसिस प्रस्तुत किये जाने तथा कंकरेण्ट आडिट कराये जाने के निर्देश के साथ बजट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
50-	ऋण ग्रहीता श्री एन०पी० सिंह को दिये गये आवास ऋण के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
51-	हडको द्वारा तृतीय कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम संख्या–३ मंगल पाण्डेय नगर मेरठ (स्कीम संख्या १७१६३) के संचालन हेतु स्वीकृत ऋण रु० १५६.३६ लाख की सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में ।	सिद्धान्ततः अनुमोदित किया गया ।
52-	चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
53-	धुलाई भत्ता मे वृद्वि किये जाने के सम्बन्ध में।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि अगले १० वर्षो तक कोई वृद्वि नहीं की जायेगी, भले ही शासन स्तर पर कोई वृद्वि कर दी जाये ।
54-	श्री नैपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर विचार करने के सम्बंध में।	अगली बोर्ड बैठक में आवास आयुक्त द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर रखे जाने का निर्णय लिया गया ।
55-	कबीर नगर योजना वाराणसी में स्थित बहुखण्डीय आवासीय भवन संख्या ३/३ में किये गये अनाधिकृत निर्माण की कम्पाउण्डिंग	अनुमोदित ।

1	2	3
	के सम्बन्ध में ।	
56-	अर्जनमुक्त / समायोजित खसरा संख्या–७७ ग्राम इस्माइलगंज मुंशीपुलिया चौराहा इन्दिरा नगर लखनऊ की भूमि के विक्रय उपरांत भूप्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।	वर्तमान दर पर अनुमोदित किया गया ।
57-	लखनऊ बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के वृन्दावन योजना संख्या–२ लखनऊ में समाविष्ट भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।	अवलोकित ।
58-	भूमि विकास एवं गृहस्थान वृन्दावन योजना संख्या–३ लखनऊ।	अनुमोदित ।
59-	इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–६ बरेली के सम्बन्ध में टिप्पणी ।	अनुमोदित ।
60-	नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के योगदान को सुनिश्चित करने हेतु स्थापित आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि इस फण्ड का उपयोग परिषद द्वारा अपनी योजना हेतु किया जायेगा ।
61-	आवास विकास परिषद की कानपुर योजना संख्या–१ एवं ३ में विवादित सहकारी आवास समितियों की भूमि के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
62-	परिषद की राधिका विहार योजना मथुरा में श्री अजय कुमार पोइया, विधायक को आवंटित भूखण्ड संख्या ४६१/१ के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज की धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत ।
63-	कमला नगर योजना आगरा के सेक्टर–६ में बल्कसेल ग्रुप हाउसिंग समिति के लिये प्रस्तावित भूखण्ड संख्या जी०एच०–६/१ के आवंटन के सम्बन्ध में ।	विचार–विमर्श के उपरांत प्रश्नगत भूमि के पुनः निगोसियेशन के लिए मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि एक कुशल अधिवक्ता की नियुक्ति करते हुए वाद के निस्तारण की प्रभावी कार्य–वाही की जाये ।
64-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।	अनुमोदित 19.9.2001